न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/56 **दायरा दिनांक : 24.05.2022**

उनवान

अविनाश जायसवाल उर्फ पिन्टू जायसवाल आत्मज श्री योगेश जी जायसवाल, जाति जायसवाल, निवासी भवानीमण्डी, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. सेफुद्दीन आत्मज मोहसीन हुसैन, जाति बोहरा
2. तफज्जुल हुसैन आत्मज मोहसीन हुसैन, जाति बोहरा
3. असगर अली आत्मज मोहसीन हुसैन, जाति बोहरा
4. फजा बाई पुत्री मोहसीन हुसैन, जाति बोहरा
5. फरीदा पुत्री मोहसीन हुसैन, जाति बोहरा
6. मनमोहन आत्मज रामगोपाल राठी
   अकवाम निवासीगण भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड
8. जाफर हुसैन आत्मज दिलावर शाह, जाति फकीर, निवासी पचपहाड, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0 मृतक कायम मुकामान :–
   8/1– आबिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन
   8/2– शाहिद हुसैन पुत्र जाफर हुसैन
   8/3– आशिक हुसैन पुत्र जाफर हुसैन
   8/4– अकम हुसैन पुत्र जाफर हुसैन

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी. पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रामेश्वर दयाल व श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 6,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित ।

निर्णय **दिनांक : 18.10.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 73/प्रार्थना पत्र/2018 निर्णय दिनांक 30.10.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 जा0 दी0 पेश किया और यह कथन किया कि उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि नगर पालिका, भवानीमण्डी के क्षेत्राधिकार में निहित है तथा साबिक खसरा नं. 374/01 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 374/02 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि अन्य खसरा नम्बरान की भूमि के साथ आबादी नगर पालिका, भवानीमण्डी में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय दिनांक 30.10.2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो कि निरस्त होने योग्य है।

निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के केवल मात्र अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2019 के आधार पर यह मानते हुए कि प्रार्थी मूल वाद में पक्षकार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. एक्ट पारित फरमा दिया गया, जो अवैधानिक है।

मूल वाद राजस्थान सरकार बनाम सैफुद्दीन वगैराह के नाम से अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है और रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण की हैसियत से पक्षकार बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर किसी भी तरह की आपत्ति हो सकती है तो वादी राजस्थान सरकार को ही हो सकती थी, परन्तु दिनांक 23.01.2019 को जो प्रार्थना पत्र पेश हुआ, वह प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 की ओर से पेश किया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को अपीलांट के प्रार्थना पत्र की धारा 212 आर.टी.एक्ट के मामले में किसी भी तरह की आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना यह मान लिया कि अपीलांट मूल वाद में पक्षकार नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है जबकि मूल वाद की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.07.2019 से स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में पक्षकार बनने के लिये प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर दिया था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद की पत्रावली पर गौर फरमाये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो कि अवैधानिक है।

कानूनन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सी. पी. सी. का निर्णय पारित करने के बाद ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.टी.एक्ट का निर्णय पारित करना चाहिये। प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज नहीं किया जा सकता। जब एक बार प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर लिया तो प्रार्थना पत्र का निस्तारण मेरिट पर ही करना चाहिये था, इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया।

कानूनन पक्षकार बनने या ना बनने के मामले में वादी ही आपत्ति करने का अधिकारी है, अन्य प्रतिवादीगण को किसी भी तरह की आपत्ति पेश करने का अधिकार नहीं है एवं कानूनन न्यायालय किसी भी व्यक्ति को पक्षकार बना सकता है। ऐसी स्थिति में पक्षकार बनने के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2019 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे कि वह मूल प्रकरण में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण के बाद ही धारा 212 आर.टी.एक्ट का मेरिट पर निर्णय पारित करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.04.2022

को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी साबिक नं. 374 हाल खसरा नं. 641 वाके ग्राम भवानीमण्डी के मामले में पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी का बेचान नहीं करें और न ही निर्माण करें, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के मामले में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2019 में वर्णित आपत्तियों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी.एक्ट खारिज कर दिया गया इसलिए अपीलांट के द्वारा आदेश दिनांक 30.10.2019 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2019 के आधार पर यह मानते हुए कि प्रार्थी मूल वाद में पक्षकार नहीं है और प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जबकि मूल वाद राजस्थान सरकार की ओर से पेश किया गया था जिसका उनवान राजस्थान सरकार बनाम सेफूद्दीन वगैरा है। इस में रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण की हैसियत से पक्षकार बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार को ही आपत्ति हो सकती थी, परन्तु दिनांक 23.06.2019 को जो प्रार्थना पत्र पेश हुआ वह प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 की ओर से ही प्रस्तुत किया गया था, ऐसी स्थिति में प्रकरण में कौन पक्षकार बनेगा या नहीं बनेगा इसकी आपत्ति करने का अधिकार वादी राज्य सरकार को ही था।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना आधार के यह मान लिया गया कि अपीलांट /प्रार्थी मूल वाद में पक्षकार नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है, जबकि मूल वाद की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.07.2019 से यह स्पष्ट है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में पक्षकार बनने के लिये प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद की पत्रावली पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।

कानूनन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 212 आर.टी.एक्ट का निर्णय पारित करने से पूर्व मूल वाद आर्डर 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय करना चाहिए था। केवल प्रारम्भिक आपत्ति पर सरसरीतौर पर खारिज कर दिया, जो अवैधानिक है। मूल प्रकरण में राज्य सरकार वादी होने के कारण राज्य सरकार ही आपत्ति पेश करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, इस कानूनी बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं फरमाया गया है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2019 निरस्त फरमाया जावे और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश जारी फरमाये जावे कि वह मूल वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सी.पी.सी. के निस्तारण के बाद ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 6 ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांट द्वारा बेबुनियाद एवं अनावश्यक तथ्यों को आधार बनाकर उक्त अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर सम्यक दृष्टिपात कर विधि एवं तथ्यों को दृष्टिगत रख दिनांक 30.10.2019 को विधि सम्मत आदेश पारित किया जो उक्त आदेश के तथ्यों से ही स्पष्ट परिलक्षित है आदेश के पैरा नं. 2 में स्पष्ट वर्णित है कि हमने रेकार्ड कर अवलोकन कर पाया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं है तथा ना ही कोई दस्तावेज है जिससे यह साबित हो कि आया प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि में हितबद्ध रखता हो। साथ ही वर्णित किया है कि पैरा नं. 3 में धारा 212 आर. टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र वही व्यक्ति ला सकता है जो की मूल वाद में पक्षकार है, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट अयोग्यता से ग्रसित है तथा प्रार्थी अपीलांट विधि के अनुरूप कार्य न कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर अर्थात् उसके अनुरूप कार्य न कर माननीय न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से उक्त अपील प्रस्तुत की है जो प्रारम्भ से ही औचित्यहीन होने के कारण से खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि अपीलांट द्वारा न तो आर.टी.एक्ट धारा 212 के प्रावधान व सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत कार्य कर रहा है जो स्पष्टतया प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पहलुओं को दृष्टिगत रख न्यायोचित विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस व अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 6 की लिखित बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट के धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.10.2019 को निर्णय पारित करते हुए यह विवेचन किया है कि वकील अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थी मूल वाद में पक्षकार नही था, केवल पक्षकार बनने का आवेदन प्रस्तुत कर देने से प्रार्थी को मूल वाद में पक्षकार नहीं माना जा सकता है। सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति नियमित/मूल वाद में पक्षकार हुए बिना आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी व धारा 212 आरटीए के तहत् स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने की पात्रता नहीं रखता है। माननीय न्यायालय को गुमराह

कर एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है वह प्रथम दृष्टया, अवैध व गैरकानूनी होने से खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में जो भी कथन किया गया है वह प्रार्थना पत्र पर चस्पा होते है क्योंकि बिना मूल वाद में पक्षकार बने धारा 212 आरटीए, आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करना भी इस बात को दर्शाता है कि प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा माननीय न्यायालय में तथ्यों को छिपाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार मेन्टेनेबल नहीं है और जो स्थगन आदेश एकपक्षीय प्राप्त किया है वह भी सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार मेन्टेनेवल नहीं माना जाता है।

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी 1955 का प्रार्थना पत्र वहीं पक्षकार ला सकता है जो मूल वाद में पक्षकार हो अथवा रेकार्डेड खातेदार हो, इसलिए सर्वप्रथम प्रार्थी को मूल वाद में पक्षकार बनने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, उसके बाद ही उसके द्वारा धारा 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा सी.पी.सी. के सर्वमान्य प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/24

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा